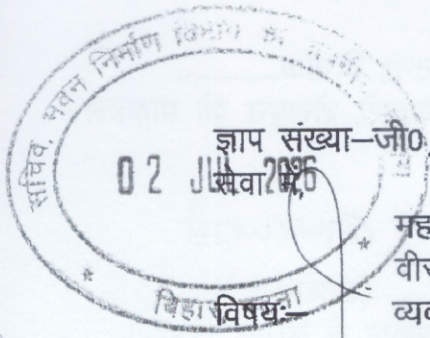


3.6/2.5/1.7-1



बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-51/2019/.....512)...../जे०, पटना, दिनांक-01.7.26

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के 12 कोर्ट बिल्डिंग में नाला निर्माण एवं ऊँचीकरण कार्य के निमित्त रू० 12,40,800/- (बारह लाख चालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के 12 कोर्ट बिल्डिंग में नाला निर्माण एवं ऊँचीकरण कार्य के निमित्त रू० 12,40,800/- (बारह लाख चालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) के लिए स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं०-विपत्र कोड-03-4059800510105 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ०-12/टि०, दिनांक-09.06.2026, सं०सं०- जी०/यो०-31-51/2019)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ०-14/टि०, दिनांक-24.06.2026, सं०सं०- जी०/यो०-31-51/2019)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Balaram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-51/2019/.....512)...../जे०, पटना, दिनांक-01.7.26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Balaram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-51/2019/.....512)...../जे०, पटना, दिनांक-01.7.26

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Balaram Dubey

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

P.T.O